

23¹²/₁₃ पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पक्ष उपस्थित
रिडर
हैं। बार-बार आवाज डिलाई गई कोई बर्तन
नहीं है। सायल का प्रापत्र अदम लपरी एवं
अदम पैरवी में खरीज किया जाता है। पत्रावली
केवल शूगर होकर बाद लकरील इफरट दायर
की जावे।

उम जिला कलक्टर।
धामनवास (जिला-सं०मा०)

